(e) whether a large number of such letters have also been received in Prime Minister's Office from MPs during first quarter of 1994;

(f) if so, the details of such letters received in each month of 1994;

(g) whether a large number of such letters have been forwarded to other Ministries as these related to those offices;

(h) whether a large number of such references have not been finalised so far; and

(i) if so, the details of such references, Ministry and Office-wise separately, for 1993 and 1994, with reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): (a) to (i) The Prime Minister has received 9238 letters from the Members of Parliament during the year 1993 and 2344 letters during the period from 1.1.94 to 31.3.94. The month wise figures are indicated below:

1993 :

Jan	—	630.	Feb	—	649,	March	—	910,	April	—	853
May	—	789.	June	—	680,	July	—	563,	Aug.	—	1196
Sept.	—	782.	Oct.	—	731,	Nov.	—	470,	Dec.	—	985

1994 :

Jan.	—	724,	Feb.	—	682,	March	—	938

The letters received by the Prime Minister from the Members of Parliament are of different categories. Action on most of the letters is to be taken by the concerned Ministries/Departments of the Central Government and the State Governments as the case may be. There are some letters which are of such a nature on which either no specific action is required or on which action is to be taken in the Prime Minister's Office. Such letters on which action is to be taken by the Ministries/Departments of the Central Government or the State Governments are forwarded to them for considering the issues raised in the letters and sending appropriate replies to the Members of Parliament. Ministry-wise and Office-wise details of such references as well as details of cases that have been finalised are not being maintained in the Prime Minister's Office. It is primarily the responsibility of the concerned Ministries/Departments or the State Governments, as the case may be, to take action on these letters and send appropriate replies to the Members of Parliament.

Constitutional amendment for enforcing international treaties

6856. SHRI SATYA PRAKASH MALVIYA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to amend the Constitution to seek approval of Parliament before enforcing certain categories of international treaties; and

(b) so, whether any decision has been taken/is likely to be taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R. L. BHATIA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

परमाणु विद्युत-संयंत्रों में उत्पादित विद्युत की लागत

6857. श्री अजीत पी०के० जोगी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए परमाणु विद्युत-संयंत्र में निर्धारित क्षमता पर प्रति-मेगावाट विद्युत-

उत्पादन पर अनुमानत: कितना खर्च आता है ;

(ख) प्रति मेगावाट विद्युत प्रेषण पर अनुमानत: कितनी लागत आती है ; और

(ग) उपयोग-स्थल पर प्रति मेगावाट कितना निवेश किया गया है ?

प्रधान मंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) किसी नाभिकीय विद्युत संयंत्र की पूंजीगत लागत अनेक कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि अपनाई गई प्रौद्योगिकी, संयंत्र को चालू करने का वर्ष, वित्तीय ढांचा, ब्याज तथा मुद्रास्फीति की दरें। इस समय निर्माणाधीन परमाणु विद्युत परियोजनाओं में से, 2 × 220 मेगावाट विद्युत क्षमता वाली कैगा परमाणु विद्युत परियोजना जिसे 1996 के दौरान चालू किया जाना है, की पूंजीगत लागत लगभग 3.61 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट अनुमानित की गई है, जिसमें परियोजना के पूरा होने तक हो सकने वाली मूल्य वृद्धि शामिल है और निर्माण के दौरान लगने वाला ब्याज शामिल नहीं है। इस परियोजना के लिए ऋण व इक्विटी के 2 : 1 अनुपात के आधार पर निर्माण के दौरान लगने वाला ब्याज अनुमानत: लगभग 1.56 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट होगा ।

(ख) और (ग) विद्युत-संचरण की लागत संचरण लाइनों की लम्बाई, इन लाइनों के जरिए पहुंचाई जाने वाली वोल्टता ऊर्जा पर निर्भर करती है और हर स्थान के मामले में भिन्न-भिन्न होती है । खपत के स्थान पर किया जाने वाला निवश भी भार के संकेन्द्रण और किस्म के तथा विभिन्न प्रकार की संवितरण वोल्टता आपूर्ति प्रणालियों के आधार पर हर मामले में काफी भिन्न होता है । तथापि, विद्युत-संचरण की लागत और परमाणु विद्युत संयंत्र से खपत के स्थान तक किए जाने वाले अतिरिक्त निवेश संबंधी लागत किसी ताप अथवा पन-बिजली घर से बिल्कुल भिन्न नहीं है ।

विद्युत-उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का योगदान

6858. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में परमाणु ऊर्जा का विकास संतोषजनक ढंग से नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश म विद्युत-उत्पाद. में परमाणु विद्युत परियोजनाओं का कितने प्रतिशत योगदान रहा है?

प्रधान मंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग) भारत ने यूरेनियम के खनन और प्रेषण की शुरूआत से, ईंधन के संविचरन, भारी पानी के उत्पादन, परमाणु विद्युत संयंत्रों के डिजाइन तैयार करने और उन्हें विकसित करने, भुक्तशेष ईंधन का पुनर्संसाधन करने और संबंद्ध अपशिष्ट पदार्थों का प्रबधन करने तक, परमाणु विद्युत कार्यक्रम के सम्पूर्ण कार्य-क्षेत्र में व्यापक स्वदेशी क्षमता विकसित कर ली है । पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में हुये कुल विद्युत उत्पादन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त नाभिकीय विद्युत उत्पादन का वार्षिक योगदान औसतन 2 प्रतिशत रहा है । प्रारभ में, नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं और संबद्ध सुविधाओं की स्थापना करके स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास के चरण से गुजरना ही था, जिसके लिये परमाणु बिजली से सबद्ध प्रौद्योगिकी के अन्तरण और वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्यात के सबंध में विश्व में भिन्न-भिन्न डिग्रियों में प्रचलित प्रतिबंधक प्रौद्योगिकी नियत्रण व्यवस्थाओं